

**F.No. DIT(S)-III/ITR-V Extension/ 2012-13**  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Direct Taxes  
Directorate General of Income Tax (Systems), New Delhi.

-----  
Notification No. 01/2013 under CPR Scheme 2011

Dated: 7 January, 2013

**Subject: Extension of time limit for filing ITR-V forms for A.Y. 2010-11, A.Y. 2011-12  
and A.Y. 2012-13**

In exercise of its powers under clause (ii) of Para 14 read with clause (7) of Para 4 of the 'Centralized Processing of Returns Scheme, 2011', issued vide C B D T Notification No. SO 16(E) dated 4.1.2012, the Director General of Income Tax (System) hereby extends the time limit for filing ITR-V forms relating to Income Tax Returns filed electronically (without digital signature Certificate) for **A.Y. 2010-11 [filed during F.Y.2011-12] and for ITRs of A.Y. 2011-12 [filed on or after 1.4.2011] till 28<sup>th</sup> February, 2013. In respect of returns filed for A.Y. 2012-13 for which ITR-V forms are yet to be received at CPC and time of 120 days has also elapsed, time limit for filing of ITR-V is extended upto 31<sup>st</sup> March, 2013 or 120 days from the date of uploading of the electronic return data, whichever is later.**

This direction is issued to mitigate the hardship and grievance of the tax payers who have been prevented by reasonable causes to file the ITR-V in time.

*Sd/-*  
(RANI SINGH NAIR)

Director General of Income Tax (Systems)

**Copy to:-**

1. PPS to the Chairman and Members, CBDT, North Block, New Delhi.
2. All Chief Commissioners/Director General of Income-tax - with a request to circulate amongst all officers in their regions/charges.
3. JS (TPL)-I & II/ Media Coordinator and Official spokesperson of CBDT.
4. DIT (IT)/DIT(Audit)/DIT(Vig.)/DIT (Systems) I, II, IV, V /CIT (OSD)(Systems)/ CIT(CPC).
5. DIT (PR, PP & OL) with a request to add the extension of time limit for filing of ITR-V forms in advertisement/ media campaign.
6. TPL and ITA Divisions of CBDT.
7. The Institute of Chartered Accountants of India, IP Estate, New Delhi.
8. Web Manager, "incometaxindia.gov.in" for hosting on the website.

*S.K. Mishra*  
7/1/13

(S.K.MISHRA)

Director of Income Tax (Systems)-III

फा.सं. आ.नि.(पद्धति)-III/आईटीआर-V एक्सटेंशन/2012-13

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर महानिदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली

सी पी आर योजना 2011 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 01/2013

दिनांक: 7 जनवरी, 2013

विषय :- निर्धारण वर्ष 2010-11 निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आई टी आर- V फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा को बढ़ाना -

के.प्र.कर.बोर्ड अधिसूचना सं. एस ओ 16 (ई) दिनांक 04.01.2012 द्वारा जारी विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग योजना, 2011 के खण्ड (7) के पैरा 4 के साथ पठित खण्ड (ii) के पैरा 14 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान दाखिल किए गए) और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए (01.04.2011 को या उसके बाद दाखिल) इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल किए गए आयकर विवरणियों के फार्म (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बिना) से संबंधित आई टी आर- V फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा को एतद्वारा 28 फरवरी, 2013 तक बढ़ाया जाता है। 2012-13 के लिए दाखिल की गई विवरणियों के संबंध में जिसके लिए आई टी आर- V फार्म जो अभी सी पी सी में प्राप्त किए जाने हैं एवं और जिनकी 120 दिन की अवधि भी समाप्त हो गई है, उनके आई टी आर- V दाखिल करने के लिए समय सीमा 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दी गई है या इलेक्ट्रॉनिक विवरणी डाटा को अपलोडिंग करने की तारीख से 120 दिन की अवधि के अन्दर, जो भी बाद में हो दाखिल किए जा सकते हैं।

यह निदेश ऐसे करदाताओं की कठिनाई और शिकायतों को कम करने के लिए जारी किए गए हैं, जिनका आई टी आर- V फार्म उचित कारणों वश निर्धारित समय पर जमा नहीं हो सका है।

हस्ता/-

(रानी सिंह नायर)

आयकर महानिदेशालय (पद्धति)

प्रतिलिपि सेवा में,

1. अध्यक्ष तथा सदस्य के; प्र.कर.बोर्ड, नई दिल्ली के पी पी एस।
2. सभी मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक- इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने क्षेत्रों/प्रभागों में सभी अधिकारियों में प्रचालित करने की कृपा करें।
3. जे एस (टी पी एल)-I और II/ के.प्र.कर.बोर्ड के मीडिया कोऑर्डिनेटर और सरकारी प्रवक्ता।
4. आयकर निदेशक (आयकर)/(जं.स.मु.प्र. एवं रा.भा.)/आयकर निदेशक (लेखा परिक्षा)/ आयकर निदेशक (सर्तकता)/आयकर निदेशक (पद्धति)- I,II,IV,V/आयकर आयुक्त (ओएसडी) (पद्धति)/आ.आयुक्त (सीपीसी)।
5. के.प्र.कर.बोर्ड के टी पी एल और आई टी ए प्रभाग।
6. भारत का चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. वेब मैनेजर, "incometaxindia.gov.in" को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए।

(एस.के.मिश्रा)

आयकर निदेशक(पद्धति) -III